घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

699. श्री लक्खीराम अग्रवाल: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कितनी कम्पनियां घाटे में चल रही हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान हुए घाटों का ब्यौरा क्या है;

(ग) घाटे में चल रही कितनी कंपनियों को अब तक बंद कर दिया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने भारी घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की 10 कंपनियों को बंद करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): (क) और (ख) भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के 48 उपक्रम हैं जिनमें से सरकारी क्षेत्र के 31 उपक्रमों ने वर्ष 1997-98 में हानि उठाई है। गत तीन वर्षों के दौरान, सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों द्वारा वहन की गई हानियों के ब्यौरे का विवरण संलग्न है। **(नीचे देखिए)**

(ग) और (घ) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड एक स्तर या अन्य स्तर पर अस्थाई/अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारी उद्योग विभाग के अधीन, सरकारी क्षेत्र के 8 उपक्रम नामतः माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि० (एम ए एम सी), नेशनल बाइसिकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन बी सी आई एल), साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लि० (सी सी आई एल), भारत आफथाल्मिक ग्लास लि० (बीओजीएल), नेशनल इंस्ट्रूमेंटस लि०, लेदर्ड इंडिया लिमिटेड (डब्ल्यू आई एल), टेनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन लिमिटेड (टैफको) और भारत प्रासेस एंड मकैनिकल इंजीनियरिंग लिमिटेड, (बी पी एम ई) लगभग बंद के समान हैं। बी आई एफ आर एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है। रिहैब्लेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड (आर आई सी) के मामले में विनिवेश आयोग ने प्रचालनों को बंद करने की सिफारिश की है। कर्मचारियों की कठिनाइयों को कम करने के विचार से सरकारी क्षेत्र के इन अजैव्य उपक्रमों में कर्मचारियों को वी०आर०एस० के लाभ देने के लिए सरकार ने वी०आर०एस० प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। प्रारंभ में योजना को 3 माह के लिए लागू किया गया था। लेकिन, सरकार ने वी०एस०एस० आंशिक ऑफर को और 3 माह के लिए बढाने का निर्णय लिया है। इन इकाइयों के पुनरुद्धार की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया जा रहा है।

विवरण

भारी उद्योग विभाग

भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के घाटे(-) दर्शाने वाला विवरण:

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	1995-96 (वास्तविक)	1996-97 (वास्तविक)	1997-98 (वास्तविक)
1.	बीएससीएल	-86.31	-76.31	-88.78
2.	आरबीएल	-2.06	-1.7	-1.42
3.	जेसप	-71.36	-60.13	-39.54
4.	बीपीएमई	-16.99	-20.47	-23.57
5.	डब्ल्यूआईएल	-3.79	-4.08	-4.54
6.	लगन जूट	0.04	-0.08	-1.04
7.	टीएसएल	-8.03	-2.92	-6.46
8.	टीएसपी	0.45	0.27	-2.47
9.	सीसीआईएल	-38.43	-39.34	-37.29

क्रम संख्या	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	1995-96 (वास्तविक)	1996-97 (वास्तविक)	1997-98 (वास्तविक)
10.	एचसीएल	-84.33	-146.13	-174.8
11.	एचईसी	-192.45	-83	-71.97
12.	एचएमटी	-55.89	-18.78	-29.14
13.	पीटीएल	-4.71	-40.67	-26.36
14.	आईएंलके	-33.76	-33.81	-39.42
15.	एमएएमसी	-100.44	-119.41	-144.8
16.	एनबीसीआईएल	-15.69	-15.46	-17.05
17.	एनआईएल	-20.32	-22.9	-28.66
18.	बीओजीएल	-16.95	-18.42	-24
19.	सीसीआई	-104.75	-159.41	1.5
20.	एचपीसी	-7.5	6.99	11.51
21.	एमएनपीएम	-25.62	-29.48	-31.96
22.	एनपीपीसी	-6.34	-20.68	-7.6
23.	एचपीएफ	-70.88	-95.61	-231.67
24.	एचएमएल	-0.15	-0.24	-2.11
25.	नेपा	1.12	-56.57	-20.16
26.	आरआईसी	-53.77	-71.25	-81.13
27.	टैफको	-27.86	-27.39	-28.29
28.	टीसीआईएल	-45.52	-50.93	-49.71
29.	बीएलसी	-1.98	-2.43	-2.65
30.	ईपीआई	-61.18	-48.76	-35.74
31.	एनआईडीसी	-0.22	0.57	-2.03
	कुल	-1155.23	-1258.53	-1241.35

Setting up of Second Labour Commission

690. SHRI S.M. KRISHNA:
SHRI ABANI ROY:
SHRI PARAG CHALIHA:
SHRI C. RAMACHANDRAIAH:
SHRI GHUFRAN AZAM:
SHRI J. CHITHARANJAN:
SHRI GURUDAS DAS GUPTA:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government have recently set up Second Labour Commission;

(b) if so, the constitution and the terms of reference;

(c) whether his Ministry has collected all data relating to unorganized sector for reference to the Labour Commission;

(d) what are the salient areas of unorganized sector which need to be examined by the Labour Commission; and

(e) by when the Commission is likely to submit its report to Government?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) to (e) The Government have decided to set up the Second National Commission on